न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-203RAAJodhpur2023-99RTA223 Lrs of Pannalal Vs Hirchand etc

पन्नालाल पुत्र टीकूराम के कायम मुकामः -

01. प्रेम पुत्र पन्नालाल
02. मनोहर पुत्र पन्नालाल
जातियान् पालीवाल, निवासीगण- छीला तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हिरचन्द पुत्र टीकूराम

रेस्पो.....

2. श्याम पुत्र पन्नालाल
3. चम्पालाल पुत्र पन्नालाल
4. दुर्गा पुत्री पन्नालाल
5. मोहनी पुत्री पन्नालाल
6. जेठी पत्नी पन्नालाल
सभी जातियान् पालीवाल, निवासी- छीला, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
7. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा खीचन, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
8. तहसीलदार लोहावट।

प्रफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 117/2022 हिरचन्द बनाम पन्नालाल के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित-
श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 117/2022 अनवान हिरचन्द बनाम पन्नालाल के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 31 मई 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 329 रकबा 13.7917 हैक्टेयर, खसरा नं. 338 रकबा 3.9254 हैक्टेयर ग्राम कालीमाली, खसरा नं. 380 रकबा 13.4355 हैक्टेयर ग्राम नैताजी नगर, पटवार मण्डल आमला तहसील लोहावट के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2023 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस संख्या एक के मध्य पूर्व में मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है तथा मौखिक बंटवाड़े अनुसार ही खसरा नं. 338, 329 में 1/2 हिस्सा तथा खसरा नं. 380 में 1/7 हिस्सा अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा अपीलांट्स द्वारा उक्त बंटवाड़ा अनुसार उक्त कृषि भूमि को समतल कर, तारबंदी करवाकर, खाद इत्यादि देकर उपयोगी बनाया है, लेकिन रेस्पोडेंट संख्या एक के मन में खोट आने से उपजाउ जमीन को हड़पने के लिए वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किया गया है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं होने तथा अपीलांट के काउंटर क्लेम का रेस्पोडेंट द्वारा जवाब भी पेश नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं काउंटर वाद के आधार पर तनकीया कायम किये बिना तथा उभय पक्ष से साक्ष्य लिये बिना ही जल्दबाजी में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलांट के द्वारा काउंटर क्लेम के साथ सलंग्न नजरी नक्शे को अधीनस्थ न्यायालय ने देखा तक नहीं तथा न ही अपीलांट के बिजली कनेक्शन तथा ट्यबवेल खुदे होने के तथ्य को देखा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के बाबत जानकारी हुई। जिस पर अविलंब अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकले लेकर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 117/2022 अनवान हिरचन्द बनाम पन्नालाल के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वे विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज पक्षकारान् के हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के पश्चात अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा जवाब प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी/रेस्पो. को वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार तहसीलदार लोहावट से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सों के संबंध में किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में उभय पक्ष के दर्ज हिस्से अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 117/2022 अनवान हिरचन्द बनाम पन्नालाल के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा जहां तक संभव हो पक्षकारान् के कब्जे काश्त के बिंदु को भी ध्यान में रखा जावे। विचारण न्यायालय उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-203RAAJodhpur2023-99RTA223 Lrs of Pannalal Vs Hirchand etc

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
पन्नालाल पुत्र टीकूराम के कायम मुकामः - 1. प्रेम पुत्र पन्नालाल 2. मनोहर पुत्र पन्नालाल जातियान् पालीवाल, निवासीगण- छीला तहसील लोहावट, जिला फलोदी।	**ब ना म**	1. हिरचन्द पुत्र टीकूराम 2. श्याम पुत्र पन्नालाल 3. चम्पालाल पुत्र पन्नालाल 4. दुर्गा पुत्री पन्नालाल 5. मोहनी पुत्री पन्नालाल 6. जेठी पत्नी पन्नालाल सभी जातियान् पालीवाल, निवासी- छीला, तहसील लोहावट, जिला फलोदी। 7. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा खीचन, तहसील लोहावट, जिला फलोदी। तहसीलदार लोहावट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 117/2022 हिरचन्द बनाम पन्नालाल के कायम मुकाम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 05 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 117/2022 अनवान हिरचन्द बनाम पन्नालाल के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जनवरी 2023 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा जहां तक संभव हो पक्षकारान् के कब्जे काश्त के बिंदु को भी ध्यान में रखा जावे। विचारण न्यायालय उभय पक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 05 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर